जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी जन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे खविधा हो।



गाम यनीवर्सिटी दरभाष (0751) 2341896 (0751) 2442829 (0751) 2341768

45

प्रेषक : कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालिसर क्रमांकःएफ/सम्बद्धता/2013/ 318

Gaia: 10/05/13

9826225027

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध **सावित्री कन्या महाविद्यालय गोहद भिण्ड ()** को **सत्र 2013–14** के लिये प्रस्तावित/संचालित <mark>बी.सी.ए. द्वितीय, बी.एस-सी द्वितीय (आ.पा गणित, भौतिक रसायन), अति.विषय -जन्तुविल्लान,</mark> वनस्पति विज्ञान, कम्प्यूटर, बायोटेक, माइकोबायोलॉजी, बी.कॉम. द्वितीय वर्ष प्लेन/कम्प्यूटर पाठ्यक्रम</mark> कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाऐं प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोद्दय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :--

1. प्रो. राजेन्द्र सिंह, आचार्य, शारीरिक शिक्षा अ.शा., जी.वि.वि., ग्वा. (संयोजक)

(9425116520)

- 2. प्रो. सी.के. शिन्दे, आचार्य, रसायन अ.शा., जी.वि.वि., ग्वा. 3. प्रो. आर.जे. राव, आचार्य, प्राणिकी अ.शा., जी.वि.वि., ग्वा.
- 4. प्रो. उमेश होलानी, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अ.शा., जी.वि.वि., ग्वा.

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाल्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएं अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा ३० दिन .में महाविद्यालय का निरीक्षण कर १५ दिवस् में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस् में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाऐगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्थदण्ड जमा कराकर नवीन समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस् में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिनियम २७(११)(७) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छत्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकरे जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को दीखे । डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः--

- 1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें। 3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
- 4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसंचिव (सम्बद्धता)

Users\Dr. D. N. Goswami\Desktop\dcdc\noc inspection\suchna.docx

SAVITRI GIRLS COLLEGE GOHAD